राष्ट्रीय मानव अधिकार आयोग

कोविड-19 महामारी के दौरान बंधुआ मजदूरों की पहचान, रिहाई एवं पुनर्वास सम्बंधी परामर्शी

कोविड -19 महामारी के प्रभाव का देश में सामाजिक-आर्थिक रूप से वंचित वर्गों पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ा है। गरीब स्वदेशी और हाशिए पर रहने वाले जनसंख्या समूहों को जीवन में कई प्रकार के नुकसान का सामना करना पड़ता है जो सामाजिक बहिष्कार और भेदभाव को बढ़ा सकते हैं। दूसरी लहर ने बंधुआ मजदूरों की मौजूदा समस्याओं को भी गहरा कर दिया है, जिनमें से बड़ी संख्या में असंगठित और प्रवासी श्रमिक हैं, जो सामाजिक-आर्थिक सुरक्षा के दायरे से बाहर हैं, जो उन्हें मानव तस्करी के लिए अधिक संवेदनशील और आसान लक्ष्य बनाता है। बंधुआ मजदूर गंभीर चिकित्सा समस्याओं से ग्रस्त हैं जो कोविड -19 की दूसरी लहर के मौजूदा खतरे को बढ़ा सकते हैं। इस प्रकार, यह महत्वपूर्ण है कि सभी स्तरों पर शासन को यह सुनिश्चित करने के लिए तैयार किया जाना चाहिए कि इस मौजूदा महामारी, जो पहले ही कई लोगों की जान ले चुकी है, में बंधुआ मजदूर समुदाय को चिकित्सा संसाधन उपलब्ध कराए जाएं।

दिसंबर 2020 को, माननीय सर्वोच्च न्यायालय के निर्देशों के तहत राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग ने कोविड -19 स्थिति के दौरान बंधुआ मजदूरों की पहचान, रिहाई और पुनर्वास के लिए सभी राज्यों / केंद्र शासित प्रदेशों के लिए व्यापक दिशानिर्देश' जारी किए।

इसके अलावा, दूसरी लहर से उत्पन्न चुनौतियों को ध्यान में रखते हुए, राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग यह परामर्शी, जिसमें प्रचलित कोविड -19 महामारी में बंधुआ मजदूरी की रोकथाम, पहचान, बचाव के साथ-साथ उनके पुनर्वास के पहलुओं तथा सरकारी अधिकारियों द्वारा कमजोर व्यक्तियों को शोषण से बचाने के लिए त्वरित कार्रवाई सुनिश्चित करना शामिल किया गया है, जारी करता है।

I. रोकथाम

1. पंचायतों को गांव में रहने वाले व्यक्तियों और काम के लिए कस्बों/शहरों में प्रवास करने वालों के बारे में जानकारी का रिकॉर्ड रखने के लिए कहा जा सकता है। रजिस्टर में मजदूरों, बिचौलियों, कार्यस्थल के स्थान का विवरण तथा मजदूरों की आवाजाही का विवरण दिया जाएगा।
2. जिला प्रशासन को ऐसी किसी भी स्थिति की निगरानी के लिए जिले में रेलवे अधिकारियों के साथ समन्वय करना चाहिए जहां मजदूरों की तस्करी पर संदेह करने का पर्याप्त कारण है और अगर इसमें बच्चे शामिल हैं तो तुरंत जांच करनी चाहिए।

3. जिला प्रशासन को संबंधित अधिकारियों को बस स्टेशनों, बस स्टॉप, अंतर-जिला/अंतर-राज्यीय जांच चौकियों आदि में किसी भी संदिग्ध गतिविधि/लोगों की आवाजाही की निगरानी और हस्तक्षेप करने के लिए संबंधित अधिकारियों को संवेदनशील और निर्देशित करना चाहिए, जहां बंधुआ मजदूरी का संभावित तत्व है।
4. राज्य सरकार को कोविड -19 महामारी के कारण नौकरी गंवाने वाले कमजोर लोगों और दिहाड़ी मजदूरों को मुफ्त राशन और स्वास्थ्य सेवा प्रदान करने के लिए समर्पित कोष बनाने पर विचार करना चाहिए। राज्य को जिला प्रशासन को अत्यधिक संवेदनशील परिस्थितियों में परिवारों की पहचान करने और आवश्यक सामाजिक सुरक्षा कवर प्रदान करने का निर्देश देना चाहिए। इससे बंधुआ मजदूरी की तस्करी पर रोक लगेगी।
5. राज्य सरकार को अपने श्रम विभाग के माध्यम से गांवों में मनरेगा प्रावधानों के बारे में जागरूकता फैलानी चाहिए ताकि रोजगार की तलाश में कमजोर लोगों को शहरों/कस्बों की ओर जाने से रोका जा सके। इससे लोगों को अपने गांवों में रहने और काम करने और किसी भी प्रकार के बंधन को रोकने में मदद मिलेगी।
6. जिला प्रशासन अवैध प्रवास पर जानकारी प्रदान करने के लिए श्रम मुद्दों पर काम कर रहे स्थानीय गैर सरकारी संगठनों के साथ समन्वय पर विचार कर सकता है।

II. पहचान

7. पंचायत को तत्काल कदम उठाने चाहिए और जिला मजिस्ट्रेट को सूचित करना चाहिए कि क्या उन्होंने मजदूर के कार्यस्थल में बाल / बंधुआ मजदूरी की स्थिति की पहचान अथवा परिवार के सदस्यों से कोई शिकायत प्राप्त की है।
8. जिला मजिस्ट्रेट को बंधुआ मजदूरी प्रणाली (उन्मूलन) अधिनियम, 1976 के अनुसार सतर्कता समिति का गठन/सक्रिय करना चाहिए। समिति को अपने अधिदेश के अनुसार किसी भी अपराध का सर्वेक्षण करना चाहिए जिसका इस अधिनियम के तहत संज्ञान लिया जाना चाहिए।
9. इसके अलावा, जिला मजिस्ट्रेट को उद्योगों/ईंट भट्ठों/अन्य कार्यस्थलों का निरीक्षण करने के लिए संबंधित विभाग के अधिकारियों के साथ टीमों का गठन करना चाहिए और यह पता लगाना चाहिए कि क्या मजदूर बंधुआ मजदूरी की स्थिति में काम कर रहे हैं। टीम को महीने में कम से कम दो बार निरीक्षण करना चाहिए।

III. बचाव

10. बंधुआ मजदूरी व्यवस्था की शिकायत मिलने पर 24 घंटे के भीतर जिलाधिकारी/अनुमंडल मजिस्ट्रेट को जांच करनी चाहिए. और यदि जांच के दौरान बंधुआ मजदूरी का मामला पाया जाता है, तो एनएचआरसी द्वारा जारी कोविड-19 के दौरान बचाव की प्रक्रिया या केंद्र/राज्य की मानक संचालन प्रक्रिया तुरंत शुरू की जानी चाहिए।
11. वर्तमान महामारी के कारण, डीएम/एसडीएम को यह सुनिश्चित करना चाहिए कि बचाव दल को कोविड-19 सावधानियों पर प्रशिक्षित किया गया है और बचाव/स्पॉट जांच करने से पहले टीम की थर्मल स्क्रीनिंग अनिवार्य है। संक्रमण के जोखिम को कम करने के लिए कोविड -19 के लक्षणों वाले टीम के सदस्यों से परहेज करना चाहिए।

12. बचाव की प्रक्रिया के दौरान, बचाव दल को यह सुनिश्चित करना चाहिए कि मजदूरों को फेस मास्क और सैनिटाइज़र प्रदान किया जाए और मजदूरों के बीच शारीरिक दूरी पर्याप्त रूप से बनी रहे।
13. बचाव के बाद, डीएम या एसडीएम को वायरस के प्रसार से बचने के लिए बचाए गए बंधुआ मजदूरों की बुनियादी स्वास्थ्य जांच और कोविड परीक्षणों की व्यवस्था सुनिश्चित करनी चाहिए। छुड़ाए गए मजदूरों को कोविड -19 के दौरान स्वास्थ्य और स्वच्छता पर बुनियादी जागरूकता प्रदान की जानी चाहिए जैसे शारीरिक दूरी, श्वसन स्वच्छता, खांसी शिष्टाचार, हाथ की स्वच्छता आदि का अभ्यास।
14. यदि किसी बचाये गये मजदूर को कोविड-19 का संदेह है, तो मजदूर को तत्काल निकटतम स्वास्थ्य सुविधा केंद्र तक ले जाने की व्यवस्था की जानी चाहिए ताकि मुफ्त परीक्षण और उपचार की सुविधा मिल सके। रिहा किए गए बंधुआ मजदूरों का टीकाकरण किया जाना चाहिए और यदि संभव हो तो टीकाकरण सभी आयु समूहों को कवर करना चाहिए।
15. डीएम/एसडीएम को केंद्र/राज्य सरकार द्वारा जारी एसओपी के अनुसार बंधुआ मजदूरी की स्थिति का संकेत देने वाले प्रासंगिक सबूतों की जांच और सत्यापन करना चाहिए। अधिकारियों द्वारा मजदूरों की अवैतनिक मजदूरी को मौके पर ही वसूल करने का प्रयास किया जाना चाहिए क्योंकि मजदूरी के भुगतान में देरी पीड़ितों को फिर से बंधन का शिकार बना सकती है।
16. डीएम/एसडीएम को यह सुनिश्चित करना चाहिए कि बचाए गए मजदूरों को प्राथमिकता के आधार पर और बचाव के 24 घंटे के भीतर रिहाई प्रमाण पत्र प्रदान किया जाए। यदि श्रमिक अपने घर लौटने के इच्छुक हैं तो परिवहन सुविधाओं की व्यवस्था की जानी चाहिए।

IV. पुनर्वास और प्रत्यावर्तन

17. 20,000/- तक तत्काल नकद सहायता, जैसा कि केन्द्रीय क्षेत्र योजना 2016 में निर्धारित किया गया है, जिला प्रशासन द्वारा जिला बंधुआ मजदूर पुनर्वास कोष से मुक्त किये गये व्यक्ति को जिला मजिस्ट्रेट के निपटान में तत्काल प्रदान किया जाएगा।
18. हाशिए पर पड़े समाज पर कोविड-19 के प्रतिकूल प्रभाव को ध्यान में रखते हुए, जिला प्रशासन को यह सुनिश्चित करना चाहिए कि सामाजिक सुरक्षा कवर के हिस्से के रूप में बचाए गए मजदूरों को सीएसएस-2016 योजना के प्रावधानों के अलावा अतिरिक्त नकद और गैर-नकद लाभ उपलब्ध कराया जाए ताकि पुन: बंधन की संभावना न रहे।
19. जारी किए गए बंधुआ मजदूरों के लाभ के लिए श्रमिक अधिकारियों को बैंक खाते खोलने, आईडी कार्ड प्राप्त करने के लिए आवेदन, स्वास्थ्य देखभाल में नामांकन और रोजगार सृजन योजनाओं के लिए तत्काल प्रक्रिया शुरू करनी चाहिए।
20. जिला प्रशासन को संबंधित सरकारी विभागों के समन्वय से मुक्त कराए गए बंधुआ मजदूरों/बाल मजदूरों के बच्चों के लिए एक सुरक्षित और स्वस्थ वातावरण प्रदान करने के लिए सभी उपाय करने चाहिए। स्वास्थ्य जांच, मनो-सामाजिक परामर्श और शिक्षा पुनर्वास पैकेज के अभिन्न अंग होंगे।
21. रिहा किए गए मजदूरों को सुरक्षित परिवहन सुविधा उपलब्ध कराने का खर्च जिला प्रशासन वहन करे। प्रक्रिया यात्रा मानदंडों और सरकार द्वारा जारी स्वास्थ्य देखभाल निर्देशों के अनुपालन में होनी चाहिए।
22. डीएम/एसडीएम या कार्य के लिए नियुक्त अधिकारी त्वरित और सुरक्षित स्थानांतरण के लिए पुनर्वास और बचाव स्थान की पुलिस और जिला प्रशासन दोनों के साथ समन्वय करेंगे।

23. यह भी सुनिश्चित किया जाना चाहिए कि जिला प्रशासन द्वारा मजदूरों को ठीक से लाया जाए और कोविड -19 प्रोटोकॉल जैसे आइसोलेशन या क्वारंटाइन को लागू किया जाए।
24. राज्य सरकारों को यह सुनिश्चित करना चाहिए कि राज्य में कमजोरों को प्रदान किए गए खाद्य सुरक्षा पैकेज भी छुड़ाए गए बंधुआ मजदूरों को पर्याप्त समय के लिए दिए गए हैं।
25. कोविड -19 प्रभाव के बीच पंचायतों को गाँव में लोगों को मौजूदा आजीविका के अवसरों के बारे में शिक्षित और जागरूकता फैलानी चाहिए। योजनाओं में प्रधान मंत्री गरीब कल्याण रोजगार अभियान (रोजगार-सह-ग्रामीण लोक निर्माण अभियान), एमजी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम और अन्य राज्य सरकार की पहल शामिल हैं। इन पहलों के जरिए छुडाए गए मजदूरों के नामांकन से पुन: बंधन को रोका जा सकेगा।
26. ऐसे मामलों में जहां मुक्त कराए गए बंधुआ मजदूर अपने मूल स्थान पर वापस जाने के इच्छुक नहीं हैं, उनके काम के स्थानों में उचित प्रोटोकॉल का पालन किया जाना चाहिए और उन्हें बुनियादी लाभों तक पहुंच सुनिश्चित की जानी चाहिए।

V. कानूनी सहायता

27. बंधुआ श्रम प्रणाली (उन्मूलन) अधिनियम, 1976 के अलावा अन्य कानूनों के तहत अपराधों के लिए, जहां सीआरपीसी की धारा 161 के तहत बयान दर्ज किए जाने की आवश्यकता है, डीएम या एसडीएम यह सुनिश्चित करेंगे कि यह प्रत्यावर्तन से पहले और उपयुक्त कोविड दिशानिर्देशों के साथ किया जाए।
28. चल रहे कोविड -19 महामारी के दौरान यात्रा में शामिल जोखिमों को देखते हुए, डीएम/एसडीएम पुलिस अधिकारियों के साथ यह सुनिश्चित करने का प्रयास करेंगे कि रिहा किए गए बंधुआ मजदूर की गवाही संबंधित अदालत द्वारा वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से दर्ज की जाए।
29. लोक अभियोजकों को वीडियो कांफ्रेंसिंग के माध्यम से सुनवाई करने के लिए न्यायालयों द्वारा जारी दिशा-निर्देशों का पालन करना चाहिए।
30. कोविड -19 की लहर में, जहां बंधन से मुक्त व्यक्ति को स्वदेश भेज दिया गया है, लेकिन यदि बाद में परीक्षण में साक्ष्य के लिए मजिस्ट्रेट द्वारा व्यक्तिगत रूप से बुलाया जाता है, तो उसे पर्याप्त सुरक्षा प्रदान की जानी चाहिए और उचित स्वास्थ्य देखभाल मानदंडों का पालन परीक्षण के दौरान और बाद में किया जाना चाहिए।
31. लोक अभियोजकों को इस मुद्दे पर जागरूकता, त्वरित सुनवाई और न्याय की आवश्यकता सुनिश्चित करने के लिए बंधुआ मजदूरी प्रणाली पर पर्याप्त वर्चुअल प्रशिक्षण दिया जाएगा।
32. वर्चुअल प्लेटफॉर्म के माध्यम से बंधुआ मजदूरी के पीड़ितों को कानूनी जागरूकता और परामर्श प्रदान करने के लिए जिला प्रशासन को राज्य/जिला कानूनी सेवा प्राधिकरण को शामिल करना चाहिए।

उपरोक्त सभी कार्रवाइयों में जिला प्रशासन/राज्य सरकार को अपने अधिकारियों को बंधुआ मजदूरों के साथ गरिमापूर्ण और सम्मानजनक व्यवहार करने का निर्देश देना चाहिए।

केंद्र और राज्य सरकारों के लिए सिफारिशें

i. प्रमुख सचिव, श्रम विभाग, बंधुआ मजदूर, 2016 पुनर्वास योजना के विभिन्न घटकों के तहत प्रस्तुत प्रस्तावों और नकद सहायता की प्रतिपूर्ति की स्थिति के लिए श्रम और रोजगार मंत्रालय

के साथ समन्वय करने के लिए अवर सचिव के पद के नीचे एक राज्य नोडल अधिकारी नियुक्त करने के लिए नियुक्ति करे।

ii. जिला प्रशासन को यह सुनिश्चित करना चाहिए कि बचाव के बाद जिला बंधुआ श्रमिक पुनर्वास निधि योजना में उल्लिखित स्थायी राशि के साथ रिहा किए गए बंधुआ मजदूरों को तत्काल नकद और यात्रा सहायता के लिए उपलब्ध है।

iii. राज्य का श्रम विभाग कार्यस्थल पर संकट में फंसे मजदूरों को तत्काल सहायता प्रदान करने के लिए जिले में श्रम अधिकारियों से जुड़ा एक हेल्पलाइन नंबर बनाएगा।

iv. राज्य सरकार को बंधुआ मजदूरी के मुद्दों पर कार्यरत राज्य/जिला अधिकारियों के लिए वर्चुअल प्रशिक्षण की व्यवस्था करनी चाहिए। प्रशिक्षण एक कैलेंडर वर्ष में कम से कम दो बार निम्नलिखित पर आयोजित किया जाना चाहिए: बंधुआ मजदूर प्रणाली (उन्मूलन) अधिनियम, 1976, बंधुआ मजदूर के पुनर्वास के लिए केंद्रीय क्षेत्र की योजना, 2016 और बंधुआ मजदूरों की पहचान, बचाव, रिहाई और पुनर्वास के लिए मानक संचालन प्रक्रियाएं।

v. राज्य सरकार को बंधुआ मजदूर बचाव और पुनर्वास का एक डेटाबेस बनाए रखना चाहिए। इसमें बंधुआ मजदूरों की पहचान करने के लिए अधिकारियों द्वारा किए गए सर्वेक्षण/निरीक्षण की संख्या का भी उल्लेख होना चाहिए

vi. मुख्य सचिव कोविड-19 महामारी के दौरान बंधुआ मजदूरी और श्रम तस्करी के शिकार लोगों को रोकने और उनके पुनर्वास के लिए राज्य कार्य योजना तैयार करने के लिए संबंधित विभाग को निर्देश जारी कर सकते हैं।

vii. केंद्रीय श्रम मंत्रालय और राज्य के श्रम विभागों को नियमित रूप से अपनी वेबसाइटों को अपडेट करना चाहिए और यह सुनिश्चित करना चाहिए कि अद्यतन जानकारी के साथ डेटा का उचित प्रबंधन किया जाए।

viii. राज्य के मुख्य सचिव को सभी डीएम/डीसी को पत्र जारी करें और जिला/उप-मंडल स्तर पर कार्यात्मक सतर्कता समितियों की अद्यतन सूची प्राप्त करें।

ix. जिला प्रशासन को जहां तक संभव हो, कोविड-19 के दौरान रिहा किए गए बंधुआ मजदूरों के लिए नकद और गैर-नकद लाभ जारी करने में प्रक्रियात्मक देरी से बचने का प्रयास करना चाहिए। ये पैकेज मजदूरों के प्रभावी और बेहतर पुनर्वास को सुनिश्चित करेंगे।

x. यदि राज्य सरकारों द्वारा प्रक्रियाओं का विधिवत पालन किया जाता है, तो श्रम और रोजगार मंत्रालय को निधि के तत्काल वितरण पर विचार करना चाहिए। धन के वितरण में किसी भी तरह की अनुचित देरी से बंधुआ मजदूरों को पुनर्वास सहायता की प्रक्रिया में देरी होगी।

xi. जिला प्रशासन द्वारा शिक्षा विभाग के साथ मिलकर काम करने का प्रयास किया जाना चाहिए ताकि स्कूलों में बच्चों के नामांकन को प्रोत्साहित किया जा सके, शिक्षा प्रणाली से बाहर और बाल श्रम में आने वाले बच्चों की संख्या को कम किया जा सके।

******